वर्ष 2013–14 के बजट से उम्मीदें

सुरेंद्र सूद

पहली बार वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों से मिलकर विशेषज्ञों से पूर्व बजट वार्तालाप की पारंपरिक श्रृंखला आरंभ की है। इसे कुछ लोग सरकार की प्राथमिकता कृषि क्षेत्र के लिए मान रहे हैं जबकि वास्तव में बेहतर यही होगा कि ये सब अनुमान वास्तविक बजट आने के बाद ही लगाए जाएं। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री से आने वाली आशाएं जो बजट से पूर्व होती हैं वे झूठी निकलती हैं जिसमें बड़े–बड़े वादे बजट भाषण में किए जाते हैं किंतु उनके लिए पर्याप्त संसाधनों का आबंटन नहीं किया जाता।

आज अत्यधिक आवश्यकता इस बात की है कि परिणाम देने वाला निवेश बढ़ाया जाए जो कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश दोनों हो जिससे पर्याप्त पूंजी इकट्ठी हो और जल्दी वृद्धि हो। कृषि में सार्वजनिक निवेश दसवीं योजना के अंतिम 3 वर्षों में बढ़ा था किंतु यह 11वीं योजना में कम हो गया जो वर्ष 2007–08 में 23,257 करोड़ रू. था वर्ष 2011–12 में यह कम होकर 21,500 करोड़ रू. रह गया। दूसरी ओर निजी निवेश इस अवधि में बढ़कर 82,484 करोड़ रू. से 1,20,754 करोड़ रू. हो गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने 12वीं योजना के दस्तावेजों में कहा है कि 11वीं योजना का लक्ष्य कृषि सकल घरेलू उत्पाद की 4 प्रतिशत की दर से कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए जो कृषि में वास्तविक वार्षिक वृद्धि 4 प्रतिशत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह सफल नहीं हो रहा है।

कृषि अनुसंधान और विकास में सार्वजनिक निवेश का मामला भी इससे अलग नहीं है। यह कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद के केवल 0.5 प्रतिशत पर काफी समय से रूका हुआ है। यद्यपि 11वीं योजना में इसे 1 प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य है किंतु इस अवधि में अनुसंधान और कृषि विकास में औसत वार्षिक निवेश वास्तव में 0.7 प्रतिशत ही रहा (वर्ष 2006–07 के मूल्यों पर)। वर्तमान मूल्यों पर यह आंकड़ा कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद पर और भी कम होकर 0.64 प्रतिशत होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित 12वीं योजना के दस्तावेज में कृषि अनुसंधान को 1 प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वास्तव में वर्ष 2013–14 और इसके बाद के वर्षों के बजट में इस उद्देश्य के लिए आबंटन बढ़ाने की आवश्यकता है।

स्पष्ट रूप से हॉल ही के वर्षों में कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का कारण निजी निवेश रहा है। इस रूझान को बनाए रखना तब तक कठिन है जब तक सार्वजनिक निवेश भी नहीं बढ़ता। सार्वजनिक निवेश में इस प्रकार की वृद्धि न होने के कारण निजी निवेश भी कम होने से

किसानों में निराशा है क्योंकि यह निवेश क्षतिग्रस्त प्राकृतिक संसाधनों (भूमि उर्वरता और जल उपलब्धता), मौसम का खराब असर और कारीगरों की बढ़ती लागत की पूर्ति के लिए खर्च किया जाता था। इनके परिणामस्वरूप उत्पादन के लागत में वृद्धि होने के कारण निवेश से कम लाभ हो रहा है।

अतः अगले वर्ष का बजट कृषि में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने हेतु निर्णायक होना चाहिए, विशेषकर सिंचाई, भूमि और जल संरक्षण, कृषि सेवाएं, विपणन, फसलोपरांत मूल्य श्रृंखला, पशुपालन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास। इसके अतिरिक्त किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के लिए बीमार सहकारी ऋण समितियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक फसलोपरांत तकनीक के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें मूल्य वृद्धि जो खेत पर और खेत से बाहर कृषि संसाधन को अपनाकर की जा सकती है, ताकि हानियों में कमी हो और किसानों की आय में वृद्धि।

वास्तव में इसका श्रेय सरकार को जाता है कि कृषि में संस्थागत ऋण में वार्षिक वृद्धि अच्छी हुई है जिससे किसानों की क्षमता फसल बढ़ाने और लागत कम करने की तकनीक अपनाने के लिए निर्धारित होती है। योजना आयोग के एक सक्रिय समूह का अनुमान है कि 12वीं योजना के दौरान कृषि ऋण की मांग 31,24,624 करोड़ रू. और 42,08,454 करोड़ रू. के बीच होगी। इस मांग को पूरा करने के लिए 11वीं योजना के स्तर से कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण की 2 गुना कुल मात्रा करनी होगी।

निःसंदेह बैंक क्षेत्र कृषि ऋण के इतने बढ़े निवेश की चुनौती का सामना अकेले नहीं कर सकता। सहकारी क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र के कोने–कोने में फैला हुआ है उसे इस कार्य का बड़ा भाग बांटना होगा। किंतु वर्तमान में सहकारी ऋण क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बहुत नाजुक है जिसका कारण उनकी अपनी निधियों के संसाधनों में लगभग 60 प्रतिशत की कमी आ चुकी है। अतः यह आवश्यक है कि सहकारी ढांचे की वित्तीय हालत सुधारी जाए जिसके लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्धता, संस्थागत सुधार और सहकारी ऋण ढांचे के विभिन्न स्तरों पर व्यवसायिक प्रबंधन अपनाने चाहिए। इस कार्य की शुरूआत अगले वर्ष के बजट से ही करने की आवश्यकता है।

जल प्रबंधन के क्षेत्र में बजट में सिंचाई के विस्तार और उपलब्ध जल के कारगर उपयोग को और इसके अतिरिक्त शुष्क खेती तकनीक बढ़ाने को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यद्यपि केंद्र सरकार वर्ष दर वर्ष सिंचाई लाभ कार्यक्रम में वृद्धि के लिए आबंटन बढ़ा रही है, ताकि सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके जहां पर अधिकतम कार्य पूरा हो चुका है लेकिन निवेश के अनुरूप लाभ नहीं हो रहा है।

कुल मिलाकर सिंचाई क्षेत्र के लिए निधियां कम हैं क्योंकि राज्य सरकारें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए अपेक्षित संसाधनों को उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। वास्तविकता यह है कि 11वीं योजना के अतिरिक्त सिंचाई के 16 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र तैयार करने के मूल लक्ष्य में संशोधित करके 9.5 मिलियन हेक्टेयर करना पड़ा। किंतु कहा जाता है कि इस कम किए हुए लक्ष्य की प्राप्ति कर ली गई है किंतु वास्तव में तैयार किए गए अतिरिक्त क्षेत्र की क्षमता का उपयोग लगभग 2.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर ही किया जा रहा है। अतः केन्द्र को नए सिंचाई क्षेत्र के सृजन में अधिक संसाधन लगाने की इसके साथ ही राज्यों को भी उसी प्रकार से सहयोग देने की आवश्यकता है। कमांड एरिया के विकास के लिए अधिक आबंटन की आवश्यकता है ताकि भारी लागत से तैयार की जाने वाली सिंचाई की क्षमता का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित हो सके।

गौण सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई के लिए भू–जल का उपयोग बढ़ रहा है किंतु अब इसका शोषण अधिकतम सीमा तक और अधिकतम क्षेत्रों में पहुंच चुका है। बहुत से क्षेत्रों में वास्तव में भू–जल के संचयन में लगातार आ रही है क्योंकि जिस गति से वार्षिक जल निकाला जा रहा है उस तरह से जल का रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। इस रूझान को तत्काल रोकने की आवश्यकता है जिसके लिए जल की अधिक निकासी और भू–जल के उपयोग को हतोत्साहित करना है, इसके लिए वर्षा के जल को संचय और अन्य जल संचयन के उपाय अपनाए जाएं, साथ ही वाटरशेड भी तैयार किए जाने चाहिऐं।

इसके साथ–साथ शुष्क क्षेत्र पर खेती के लिए भी आगामी बजट में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इस क्षेत्र को काफी लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। यद्यपि भूमि पर उपलब्ध समग्र क्षमता और इसके साथ ही भूजल सिंचाई की अधिकतम क्षमता का उपयोग करने के बाद भी कृषि क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत भाग अब भी वर्षा पर आधारित है। ये क्षेत्र कुल कृषि उत्पादन के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं यदि किसानों को वित्त और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएं जिनमें शुष्क रिसाइलेंट तकनीक व खेत पर ही जल संरक्षण के उपाय शामिल हैं। शुष्क भूमि पर कृषि तकनीक पर अनुसंधान करने के लिए भी अधिक निधियों की आवश्यकता है।

भूमि स्थिति प्रबंधन पर भी अधिकतम ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय भूमि की वर्तमान पौष्टिकता में तेजी से कमी आ रही है क्योंकि इस पर शताब्दियों से खेती हो रही है और उपयोग किए गए पोषक तत्वों की भरपाई नहीं होती जिसके लिए जैव और गैर–जैविक खादों का उपयोग किया जाता है। भारतीय भूमि के 90 प्रतिशत भाग पर नाइट्रोजन, 80 प्रतिशत भाग पर फॉस्फोरस और 50 प्रतिशत भाग पर पोटाशियम की कमी है। सूक्ष्म पौष्टिक तत्वों की कमी के मामले भी बढ़ रहे हैं। विशेषकर चिंता इस बात की है कि सल्फर, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन और कुछ अन्य तत्वों की सूक्ष्म पौष्टिकता की कमी है। किसान अधिक फसल के उत्पादन की किस्मों का अधिकतम

लाभ नहीं उठा पाते जब तक वे भूमि में इन पौष्टिक तत्वों को मिला नहीं देते। इसके लिए अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता है जो कि अधिकतम किसान सरकारी वित्तीय सहायता के बिना यह खर्च नहीं कर पाते। इसी प्रकार से अधिक संसाधनों का आबंटन भूमि परीक्षण की प्रयोगशालाएं बनाने के लिए करने की आवश्यकता है ताकि किसानों को मैक्रो और इसके साथ–साथ माइक्रो पौष्टिक तत्वों के उपयोग की जानकारी मिल सके। इस बजट में इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि भूमि की स्थिति और क्षतिग्रस्त न हो।

किसानों को एक मुख्य समस्या कृषि उन्नति के क्षेत्र में करना पड़ रहा है जैसे, खेती मजदूरों की कमी और अधिक वेतन की दरें विशेषकर तब से जब से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आरंभ हुई है। इसके लिए मशीनों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए जिसकी लागत उठाने में बहुत से किसान